फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 69 वर्ष 2025
गोरधन बनाम बसराम वगै.
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील मे जारी हुए
19.08.2025	मूल वाद के साथ श्री कजोड मल गुर्जर एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी के वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त खसरा न. 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24245/27, 245/28, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/5 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित खसरा नम्बरान की अप्रार्थीगण मौके की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखे। यदि इस आदेश से उन्हे कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। तलबी अप्रार्थीगण पेशशुदा तलबाने एवं रजिस्टर एडी पर कि जाकर पत्रावली दिनांक 23.09.2025 को पेश हो। [signature]	2661-2668 26/08/25 [signature]
23/09/25	[faint stamp, mostly illegible] अन्य ... है ... पत्रावली ... दि0 10/11/25 को पेश हो।	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 15/01/26 को पेश हो। [signature]	
15/01/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील [illegible] हाजिर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वीकार किया [illegible] [illegible] T.I. प्रार्थना पत्र [illegible] पर कोई आपत्ति [illegible] लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को। [signature]	